

## मेवात के नूह में थाना फूंकने की धमकियां, पुलिस मूकदर्शक आरोपियों के समर्थन में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 तोड़कर महापंचायत

**मजदूर मोर्चा ब्लूरो**  
नूह (मेवात): लॉकडाउन के दौरान मेवात के गांव इंडरी में सारे नियम कानून तोड़कर भड़काऊ महापंचायत हुई। लेकिन हरियाणा सरकार या लोकल पुलिस ने अभी तक न तो केस दर्ज किया और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। पुलिस मास्क न पहनने वालों का तो चालान काट रही है लेकिन इंडरी की महापंचायत में तो सैकड़ों लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। इस महापंचायत की जो फोटो और वीडियो सामने आए हैं, वे भयावह हैं।



की वजह से पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू हुई है और चार से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर मनाही है। लेकिन इंडरी महापंचायत में खेड़ा खलीलपुर के आसिफ हत्याकांड में पकड़े गए हिन्दू युवकों को रिहा करने की मांग उठाई गई। पुलिस ने आसिफ और उसके भाइयों की लिंगिंग के आरोप में मेवात के करीब दस युवकों को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ आसिफ के भाई ने नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। घटना में आसिफ मारा गया था, जबकि उसके भाई घायल हो गए थे।

### थाना फूंकने की धमकी

इस महापंचायत में अरुण जैलदार के अलावा कार्यालयों का सूरजपाल अम्मू और बिंदू बजरंगी मौजूद था। ये सभी लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इस भड़काऊ महापंचायत में गिरफ्तार हिन्दू युवकों को न छोड़े जाने पर थाना फूंकने तक की धमकी मंच से दी गई। हर नेता ने भड़काऊ भाषण दिए। महापंचायत स्थल पर पुलिस मौजूद थी लेकिन उसने न तो किसी को रोकने की काशिश की और न ही बाद में कार्रवाई की। लॉकडाउन

चौधरी आमिर खान ने कहा कि महापंचायत में क्षेत्र का माहौल खराब करने व थाने को फूंकने की खुलेआम धमकियां दी गईं। एक हफ्ता हो चुका है। इस महापंचायत के सोशल मीडिया पर तामाचे वायरल हैं। फिर भी नूह पुलिस खामोश है। अज्जी नामक युवक ने कहा कि महापंचायत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करना, गलियां देना मेवात के हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा है। दंगाइयों के भड़काऊ भाषणबाजी के खिलाफ पुलिस प्रशासन को सज्जन लेना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

ध्यान रहे कि मई महीने में हुए आसिफ हत्याकांड में 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी हैं। मुकदमे में 14 नामजद के अलावा 15-20 लोगों को शामिल किया गया था। आसिफ जिम ट्रेनर था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस बारात में दो युवक चश्मदीद भी हैं। अब यह मामला दो समुदायों के बीच का होने की वजह से तूल पकड़ रहा है।

इस महापंचायत में ज्यादातर लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री योगी होते तो हालात कुछ और होते। भाजपा सरकार होते हुए भी महापंचायत करनी पड़ रही है अपने अधिकारों के लिए।

## करनाल का नोचा

# करनाल के डॉक्टर, रामदेव के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन और ज्ञापन तक सीमित रहे

**करनाल, (ममो):** देश के अनेक शहरों में जहां बिजेसमैन रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, वहां करनाल के डॉक्टर सिर्फ प्रदर्शन और ज्ञापन तक ही सीमित रहे। हालांकि उन्होंने अपने भाषणों में रामदेव के खिलाफ जमकर बयानबाजी की लेकिन पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं कर सके। रामदेव हरियाणा का ब्रान्ड एम्बेसर है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रामदेव की कंपनी पतंजलि से एक लाख कोरोनील दवा खरीदने का बयान दिया था।

करनाल के डॉक्टरों ने कहा कि रामदेव ने पिछले दिनों एलोपैथिक के खिलाफ बयान दिया था। आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉ कमल जैन ने आरोप लगाया कि रामदेव एलोपैथिक को लेकर लगातार अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। ज़िला महासचिव डॉक्टर कुमार विभव ने बताया कि तमाम



डॉक्टरों ने जिला सचिवालय पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की गई कि रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वह एलोपैथिक को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं।

इस अवसर पर डॉक्टर सचिव पुरथी,

डॉ महेश मेहरा, डॉ लक्ष्मि चौहान, डा वी के सिंगला, डा अरविंद भाई, डा गगन कौशल, डॉ संजय खन्ना, डॉ लंगित कुमार, डॉ गीता रानी, डॉ रजत मिमानी, डॉ धूव गुप्ता, डॉ अरुण गोयल, डॉ अतुलय अत्रेजा, डॉ पुष्पिंद्र बजाज, डॉ रोहित गोयल एवं डॉ कमल मौजूद थे।

## किसान डीएसआर मशीन से करें धान की बिजाई, पानी कम लगेगा: विशेषज्ञ

**करनाल, (ममो):** उप-कृषि निदेशक डा. आदित्य डबास ने कहा कि धान की बिजाई का समय आ रहा है। धान के सीजन में किसान पारम्परिक विधि से धान की पौध तैयार करके 15 जून से धान की रोपाई अपने-अपने खेतों में करते हैं। इस विधि में खेत में पानी भरकर रोपाई की जाती है वर रोपाई के बाद भी पानी खड़ा रखना पड़ता है। इस समय तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पिकरण होने से पानी की खपत बहुत अधिक मात्रा में होती है और इसमें त्रप्त भी अधिक लगता है। उन्होंने कहा कि किसान भूजल, लेबर व समय की बचत करने के लिए धान की सीधी बिजाई डीएसआर मशीन से कर सकते हैं। इस विधि से पहले खेत में लेजर लेवलर द्वारा समतल किया जाना जरूरी है और इसके बाद तर-बतर अवस्था में धान की सीधी बिजाई की जा सकती है। उन्होंने इस विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस विधि से बिजाई करने में 15 से 20 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। इस मशीन द्वारा किसान रेतली जमीनों में बिजाई न करें। केवल उन्हीं खेतों में बिजाई करें जिसमें किसान पहले से ही धान की फसल ले रहे हैं। जहां एक ओर धान की सीधी बिजाई वाली विधि से पैदावार, रोपाई करके लगाई गई धान की फसल के बराबर होती है वहाँ दूसरी ओर फसल 7 से 10 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है। जिस कारण धान की पराली सम्भालने व गेहूं अथवा सब्जियों की बिजाई करने के लिए अधिक समय मिल जाता है।

## फरिश्ता बन कर आई टीम दीपेंद्र हुड्डा

**करनाल, (ममो):** कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी से दम तोड़ते आम लोगों के बीच टीम दीपेंद्र हुड्डा एक फरिश्ता बन कर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी धूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कुशल नेतृत्व में टीम दीपेंद्र हुड्डा गांव गांव जा कर कोरोना से दम तोड़ते कोरोना के मरीजों को नवजीवन प्रदान कर रही है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता तथा जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के संयोजन में हुए कार्यक्रम में टीम दीपेंद्र हुड्डा की राज्य समन्वयक मुस्कान गुप्ता ने करनाल जिले के निसिंग, घराँडा, इंद्री, असन्ध, बल्ला में स्थित स्वास्थ्य के द्वारा के लिये 10 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर वितरित किये। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भीम मेहता, जिले राम शर्मा, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, राकेश काम्बोज, अनिल राणा आदि उपस्थित थे।

## सीएम के आदेश के बावजूद विभागों में सूचना अधिकारी नहीं करीब दो साल पहले खट्टर ने नियुक्ति के लिए कहा था

**मजदूर मोर्चा ब्लूरो**  
फरीदाबाद : बहुत सारी सरकारी विभागों में अभी तक जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं हो सके। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री खट्टर ने आदेश जारी किए थे लेकिन खट्टर के इस आदेश पर तामाच विभाग इसके जीते जागत उदाहरण हैं। नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री ने राज्य जन सूचना अधिकारी 2005 के अंतर्गत सभी विभाग अपने यहां राज्य जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करें। यह जन सूचना अधिकारी समूह का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए।



क्यों ज़रूरी है सूचना अधिकारी  
सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल इस मामले को लगातार उठा रहे हैं गज्जे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार एवं लालफीताशी हें अधिकारियों की मनमानी पर अंकश लगाने का वा आम जनता के सवालों का उत्तर देने का एकमात्र जरिया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म जाति या उम्र का हो केवल 10 मात्र में किसी भी सरकारी विभाग से अपने या उस विभाग के कार्य से संबंधित सूचना मात्र 10 के शुल्क की अदायगी उपरांत ले सकता है बहुत समय से देखा जा रहा है कि विभाग व अधिकारी सही व संपूर्ण जानकारी नहीं देते तथा सूचना मांगने वाले को सरकार के लिए या तो विलंब कर देते हैं या गलत जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

समय पर आरटीआई को सूचना न देने पर इस वजह से कई बार सरकार को हास्यास्पद परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेकों बार च्यालाल में भी समय एवं संसाधन व्यर्थ होते हैं।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों एवं विभाग प्रमुखों को आदेश दिए थे कि अपने अपने कार्यालय में संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति जारी की जाए। यह नियुक्ति जिमेवार तथा कम समय पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते उनके द्वारा आम नागरिक को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के ड्राफ्ट मसौदे क